A 8/1

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
72 / प्रा.पत्र / 2019	24.07.2019	27.10.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
–प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री महावीर जेन पुत्र श्री शांतिलाल जेन, मालिक, मैसर्स महावीर किराना एण्ड जनरल स्टोर, मैन बाजार, बडानयागांव, जिला बून्दी। अशोक फेक्ट्री के पास, बडानयागांव, जिला बून्दी।
2. श्री नवीन चन्देल पुत्र श्री प्रभुलाल चन्देल, मालिक मैसर्स तिरूपति फुडस, एस0 पी0–3 (टी), चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324007। निवासी अकंलक स्कूल के पास, बसन्त विहार, दादाबाड़ी, कोटा–324009।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2018 को समय 02:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु बड़ानयागांव, स्थित फर्म महावीर किराना एण्ड जनरल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 8/2

स्टोर पर पहुंचा। वहां पर श्री महावीर जेन पुत्र श्री शांतिलाल जेन, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 10 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 4 नग (4x500 gm) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 200/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 4 पैकिंग नगों को पौली पैकिंग सहित ही चार–चार बराबर–बराबर भाग (प्रत्येक भाग में एक नग) में विभाजित किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1294 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1294 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक एफएसएसए/2018/288 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 680/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/699 दिनांक 16.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी, मिसब्राण्डेड (Misbranded) पायी गयी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 8/3

मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी, मैसर्स महावीर किराना एण्ड जनरल स्टोर बड़ानयागांव द्वारा मैसर्स तिरूपति फुडस, एस0पी0–3(टी), चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324007 से बिल संख्या 2105 दिनांक 22.10.2018 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स तिरूपति फुडस, एस0पी0–3(टी), चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324007 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री नवीन चन्देल पुत्र श्री प्रभुलाल चन्देल, निवासी–अकंलक स्कूल के पास, बसन्त विहार, दादाबाड़ी, कोटा–324009 हैं। अतः इस प्रकरण में श्री नवीन चन्देल पुत्र श्री प्रभुलाल चन्देल, मालिक मैसर्स तिरूपति फुडस, एस0पी0–3(टी), चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324007 को भी पक्षकार बनाया गया हैं तथा इस प्रकरण में मैसर्स तिरूपति फुडस, एस0पी0–3(टी), चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324007 ही विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता फर्म हैं।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए/2019/192 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित हैं। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगे जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–गुरूजी का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A8/F

कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा हैं जिसके लिए अप्रार्थीगण संयुक्त से दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 2 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) कुल राशि 15,000/– (अक्षरे–पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)